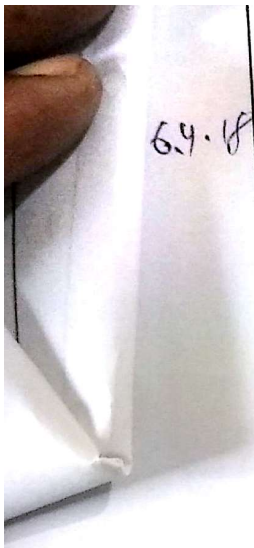

	पेश हो ।	
6.5.18	पत्रावली पेश हुई, [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित । [illegible] अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक ---------- 27-5-18 ---------- को पेश हो ।	
25.6.18	पत्रावली लोक अदालत केम्प सुल्तानपुर में पेश हुई। वादी एवं वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी नं0 1 उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। वाद पत्र का अवलोकन किया तथा वांछित रिलीफ के कम में मनन किया। वादी ने वाद पत्र में रिलीफ चाही है कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित पुरानें ख0नं0 1638 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा के नये ख0नं0	[illegible] ने 3.25 रु0 के [illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता जो कि तामील
	1479 रकबा 3.25 हे0 कायम कर 0.53 हे0 भूमि कम दर्ज की गयी है, उक्त 0.53 हे0 भूमि मौके पर मौजूद है का नया ख0नं0 कायम कर वादी के खातेदार घोषित किया जावें तथा ख0नं0 1638 की कम की गयी 0.53 हे0 भूमि मौके पर मौजूद है, पर से प्रतिवादी नं0 1 को बैदखल किया जाकर वादी को मौके पर कब्जा दिलवाया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। उभयपक्ष के मध्य मजमें आम में इस बाबत् सहमति कायम की गई कि विवादित भूमि का मौके पर सीमाज्ञान करवा दिया जावें तथा अतिरिक्त रकबा मौके पर पाया जाता है तो तहसीलदार उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। उभयपक्ष ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः वाद वादी उभयपक्ष की सहमति से आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1479 की मुताबिक पूर्व ख0नं0 1638 के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावें। यदि प्रतिवादी के रकबें में बेशी रकबा पाया जावें तो तहसीलदार उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प सुल्तानपुर

उनवान

हीरालाल पुत्र गोरधन जाति मेघवाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. अनार बाई पत्नी प्रकाश झावा जाति मेहतर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 142/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी उभयपक्ष की सहमति से आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1479 की मुताबिक पूर्व ख0नं0 1638 के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावें। यदि प्रतिवादी के रकबें में बेशी रकबा पाया जावें तो तहसीलदार उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 25.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner